Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अजमेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग का डिवीजनल अकाउन्ट ऑफिसर 10 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *27 जुलाई, बुधवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अनिल दायमा डिवीजनल अकाउन्ट ऑफिसर, नगर खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला अजमेर को परिवादी से 10 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि सड़क निर्माण कार्यों के बकाया बिल पास करने की एवज में अनिल दायमा डिवीजनल अकाउन्ट ऑफिसर, नगर खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला अजमेर द्वारा आधा प्रतिशत कमीशन के रूप में 10 **हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी अजमेर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सतनाम सिंह** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती मीरा बेनीवाल** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए अनिल दायमा पुत्र श्री वीरसिंह दायमा निवासी 58, बृजमण्डल कॉलोनी, कालवाड़ रोड़, पुलिस थाना झोटवाड़ा, जिला जयपुर हाल डिवीजनल अकाउन्ट ऑफिसर, नगर खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला अजमेर को परिवादी से 10 **हजार रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।